अध्याय - तृतीय

अध्याय - तृतीय

शोध प्रविधि

3.1	प्रस्तावना
3.2	न्यादर्श का चयन
3.3	शोध के चर
3.4	उपकरण का विवरण
	3.4.1 शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता परीक्षण
	3.4.2 शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण परीक्षण
3.5	उपकरणों का प्रशासन
	3.5.1 प्रदत्तों का संकलन
	3.5.2 उपकरण के अंकन की विधि
3.6	प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ

अध्याय – तृतीय

शोध प्रविधि

3.1 प्रस्तावना :–

अनुसंधान कार्य में अध्ययन विधि का बड़ा ही महत्व होता है। शोधकार्य में निश्चित और सही दिशा की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से यह आवश्यक होता है कि शोध प्रबंध की व्यवस्थित रूपरेखा ही शोध कार्य में निश्चित दिशा प्रदान करती है। इसमें प्रतिदर्श चयन की अपनी विशेष भूमिका होती है। इसके बाद उपकरणों एवं तकनीकी का चयन भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी आधार पर प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। इसके पश्चात् उपयुक्त सांख्यिकीय विधि के माध्यम से प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या कर निष्कर्ष निकाला जाता है। तब कहीं जाकर एक शोधकार्य पूरा हो जाता है।

1. अध्ययन विधि –

यह अध्ययन घटनोत्तर अनुसंधान के आधार पर किया गया है। तुलनात्मक कार्य कारण शोध प्रायः घटनोत्तर अनुसंधान (Ex- Post Fact Research) के नाम से जाना जाता है। इसमें विवरणात्मक एवं सह–संबंधात्मक अध्ययन करना है, वैसा वर्णन करना है। यह सह–संबंधनात्मक शोध का विस्तार भी है क्योंकि यह निरीक्षित तथ्यों के कार्य–कारण संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करता है।

करलिंगर के अनुसार –

तुलनात्मक कार्य कारण अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें स्वतंत्र चर या एक से अधिक स्वतंत्र चर पहले ही घटित हो चुके होते है और अनुसंधानकर्त्ता प्रक्षेपण का कार्य एक आश्रित चर के एक परतंत्र चर अथवा एक से अधिक आश्रित चरों पर पड़ने वाले सम्भाव्य संबंधों व प्रभावों का अध्ययन तीव्र गति से करता है।

3.2 न्यादर्श का चयन –

न्यादर्श से तात्पर्य पूरे समूह में से चुनी गयी कुछ इकाइयों का समूह है। किसी भी शोधकार्य का सामान्यीकरण उसके न्यादर्श पर निर्भर करता है। प्रतिनिधित्व न्यादर्श का चुनाव प्रायः वांछनीय होता है। आँकड़ों

पर आधारित तथ्य सदैव व्यावहारिक होते है। इसलिए यह आवश्यक हैं कि आँकड़े कहाँ से प्राप्त करे? इसके पहले न्यादर्श तय करना पड़ता है। शिक्षाविदों के अनुसार शोधरूपी भवन का आधार न्यादर्श ही है। जितना मजबूत आधार होगा भवन रूपी शोध की उतना ही पुष्ट होगा।

–करलिंगर के अनुसार

''प्रतिदर्श जनसंख्या या लोक में से लिया गया कोई भाग होता है। जो जनसंख्या या लोक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।''

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने न्यादर्श चयन ''यादृच्छिक न्यादर्श'' विधि से किया है। इसके अंतर्गत महराष्ट्र राज्य में अमरावती जिले के वरूड तहसील के 5 ग्रामीण शासकीय विद्यालय एवं 5 अशासकीय प्राथमिक विद्यालय तथा 5 शहरी शासकीय विद्यालय एवं 5 अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों तथा 100 पालकों को सम्मिलित किया है।

न्यादर्श में लिये गये प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा पालकों का विरण परिशिष्ट –A में दिया गया है।

तालिका 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 में क्षेत्र, लिंग, अध्यापको, पालकों की जागरूकता तथा दृष्टिकोण का विवरण दिया गया है।

तालिका 3.2.1

क्षेत्र एवं लिंग का विवरण (R.T.E.जागरूकता तथा दृष्टिकोण)

क्षेत्र	लिंग		योग
	पुरुष	महिला	
ग्रामीण	43	7	50
शहरी	29	21	50
योग	72	28	100

तालिका 3.2.2

क्षेत्र एवं अध्यापकों की जागरूकता तथा दृष्टिकोण का विवरण

क्षेत्र	शासकीय	अशासकीय	योग
ग्रामीण	25	25	50
शहरी	25	25	50
योग	50	50	100

तालिका 3.2.3

क्षेत्र एवं अध्यापकों तथा पालकों की जागरूकता एवं दृष्टिकोण का विवरण

क्षेत्र	शासकीय	अशासकीय	योग
ग्रामीण	50	50	100
शहरी	50	50	100
योग	100	100	200

3.3 शोध के चर :-

"शोधकर्ता द्वारा परिवर्तित नियंत्रित या प्रेरित की जानेवाली परिस्थितियाँ या विशेषतायें चर कहलाती है।" शोधकार्य में मुख्यतः दो प्रकार के चर होते है :-

1. स्वतंत्र चर -
2. आश्रित चर -

एक अन्य प्रकार का चर जिसे नियंत्रित चर भी कहते है।

प्रस्तुत शोध कार्य में चर निम्न प्रकार के है-

स्वतंत्र चर -

लिंग - अध्यापक / अध्यापिका

क्षेत्र - ग्रामीण / शहरी

शासकीय / अशासकीय

आश्रित चर -

शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता, दृष्टिकोण

3.4 लघुशोध संबंधित उपकरण का विवरण –

किसी भी शोध कार्य में उपकरणों का बहुत महत्व होता है। क्योंकि इन उपकरणों के माध्यम से ही आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये जाते है। उपकरणों का चयन एवं उपयोग बड़ी असावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए जिससे परिणाम को विश्वसनीयता पर संदेह न किया जा सके।

प्रस्तुत लघुशोध में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं पालकों की शिखा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा दृष्टिकोण को अध्ययन करना उद्देश्य था। इसलिये प्रदत्त संकलन हेतु निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया।

1. शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता परीक्षण
2. शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण परीक्षण

3.4.1 शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता परीक्षण :-

प्रदत्त संकलन के लिए शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता परीक्षण जो की अध्यापकों एवं पालकों के लिए बनाया गया है, उसका उपयोग किया है। यह प्रश्नावली स्वयं निर्मित है इसके प्रश्न वस्तुनिष्ट स्वरुप के है यह कुल प्रश्न 40 है यह परीक्षण परिशिष्ट B में दिया गया है।

3.4.2 शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण परीक्षण :-

यह अनुसूची स्वयं निर्मित है। जिसके लिए निर्देशक (Guide) ने मार्गदर्शन किया है। उपकरण तैयार करने के बाद निर्देशक एवं विशेषज्ञ से सभी कथनों की जाँच कराई गई है। अनुसूची में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण संबंधित 20 प्रश्न है यह अनुसूची परिशिष्ट – C में दी गई है।

3.5 उपकरणों का प्रशासन –

इन उपकरणों के समस्त प्रशासन के लिए दस दिन समय लगा। 01 फरवरी 2011 से 14 फरवरी 2011 तक शोधार्थी द्वारा फील्ड वर्क किया गया। फील्ड वर्क के लिए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं पालकों का चयन किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अनुमति के

बाद प्रश्नावली अध्यापकों तथा पालकों को दी गई। अध्यापकों एवं पालकों को उपकरण संबंधित निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

1. प्रदत्त जानकारी का उपयोग केवल अनुसंधान कार्य में ही किया जायेगा।
2. प्रदत्त जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।
3. प्रश्नावली पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम, लिंग, विद्यालय का नाम, विषयक पृष्ठभूमि, अनुभव, विद्यालय का प्रकार आदि की पूर्ति के लिए कहा गया।

3.5.1 प्रदत्तों का संकलन –

लघुशोध प्रबंध में शोधकर्ता ने शोध से संबंधित आंकड़ों का संकलन करने के लिए अमरावती जिले के वरूड तहसील के 10 शहरी तथा 10 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है।

संबंधित प्रदत्त संकलन के लिए अध्यापकों तथा पालकों को आवश्यक जानकारी दी गई। उसके बाद शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा दृष्टिकोण प्रश्नावली (परीक्षण) को समझाया गया तथा प्रश्नावली दी गई। और उसको भरने के लिए कहा गया। प्रश्नावली के कुछ प्रश्न अध्यापकों तथा पालकों को समझ में नहीं आते थे, उनको एक–एक करके समझाया गया जिससे सही जानकारी प्राप्त हो सके।

प्रदत्त संकलन में कुछ कठिनाईयाँ इस प्रकार आयी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विद्यालय सुबह रहते थे कुछ विद्यालय दोपहर के थे इस कारण दोबारा जाना पड़ता था। कुछ अध्यापकों का प्रशिक्षण होने के कारण विद्यालयों में दोबारा जाना पड़ा।

3.5.2 उपकरण के अंकन की विधि –

प्रस्तुत प्रश्नावली में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता परीक्षण में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनका उत्तर अपने विचार से (√) सही का निशान लगाकर देना है। सही उत्तर के एक (1) अंक दिया तथा गलत उत्तर के लिए शून्य (0) अंक दिया। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के प्रति अध्यापकों एवं पालकों के दृष्टिकोण परीक्षण में 20 प्रश्न है जिनका उत्तर सहमत, असहमत, तटस्थ के कोष्ठक में (√) सही का निशान लगाकर देना है। यह परीक्षण तीन स्तर मापनी द्वारा मापन किया गया।

इस में 16 प्रश्न सकारात्मक थे और 4 प्रश्न नकारात्मक थे। जिनका मापन 3,2,1 सकारात्मक प्रश्न द्वारा किया गया तो नकारात्मक प्रश्न के लिए 1,2,3 इस प्रकार से अंक प्राप्त किये गये। प्राप्त अंकों के आधार पर अध्यापकों एवं पालकों को क्रमानुसार रखा गया।

3.6 प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ –

शोध समस्या से संबंधित प्रदत्तों के सारणीयन करने के उपरांत उनसे उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जिससे निष्कर्ष तथा परिणामी की विश्वसनीयता एवं वैद्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

प्रस्तुत अध्ययन में अध्यापकों की जागरूकता तथा दृष्टिकोण जानने हेतु आवृत्ति व प्रतिशत का उपयोग किया गया है। क्षेत्र के (ग्रामीण, शहरी एवं शासकीय, अशासकीय) लिंग के (अध्यापक, अध्यापिका) के मध्य शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता जानने हेतु मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व 't' परीक्षण का उपयोग किया है। अध्यापकों एवं पालकों के बीच जागरूकता तथा दृष्टिकोण जानने हेतु किया है।